परिशिष्ट – XIV (31)

वन विभाग

विविध

10 फरवरी 1940 ई0

संख्या 1115/14-331-50 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल [illegible] मा है कि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट 1927 (एक्ट नं0 16, 1927) की धारा-29 की उपधारा – (3) के अधीन अधिसूचित जाँच तथा अभिलेख करने में हानि अधिक [illegible] लेकिन कि इस जाँच राज्य सरकार के अधिकारों की अवहेलना हो रही है :

अतः उपर्युक्त उपधारा के प्रावधानों द्वारा और [illegible] की धारा-80-ब के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) [illegible] अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय [illegible] करते हैं कि इस प्रकार जाँच तथा अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के प्रयोजन – [illegible] संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

| जिला | नाम सड़क | दूरी मील, फर्लांग और फीटों में | विस्तार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– मेरठ | × | × | |
| 2– मुजफ्फरनगर | × | | |
| × | × | × | |
| 21– पीलीभीत | 1– जहेती–पीलीभीत न्यौरिया रोड | 29 मील 0 फर्लांग [illegible] | |
| | 2– पीलीभीत–बहानाबाद | 2 मील से 6 मील 2 फर्लांग तक रोड | |
| | 3– पीलीभीत–बिलासपुर रोड | शून्य से 10 मील 3 फर्लांग 330 फीट | |
| | 4– पीलीभीत– मकौड़ा | शून्य से 2 मील 340 फीट तक | |
| | 5– पीलीभीत–बीसलपुर रोड | 22 मील 3 फर्लांग तक | |
| | 6– जटौमा–इनरट रोड | 4 मील 4 फर्लांग [illegible] | |
| × | × | × | |

Photo Copy Attested

अपर सांख्यिकीय अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

18/11/18

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत